



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309


पत्रांक: 028/पी-एच.डी./2017/DTS/13/742

दिनांक: 05. 06. 2018

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालयादेश क्रमांक : 028/पी-एच.डी./2017/DTS/13/721 दिनांक 23.05.2018 को अधिक्रमित करते हुए श्री भगत नारायण महतो का पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन (सत्र : 2017-18) का प्रवेश मानवीय आधार पर पुनः बहाल किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।


(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. श्री भगत नारायण महतो, शोधार्थी, पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन (सत्र : 2017-18) ।
5. कुलानुशासक कार्यालय।
6. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. परीक्षा विभाग।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, पंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।